फर्द अहकाम

5

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

भग्गा डांगी	बनाम	तहसीलदार, वल्लभनगर

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 06 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
1/09/25	वकील अपीलांट अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/09/25 को पुर्वादेशानुसार पेश हो। [illegible]		
10/9/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलान्टगण दिनांक 22/07/2024 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा बिलानाम रास्ते व चारागाह की भूमि पर अपीलान्ट के क्लेम संबंधी निरस्ती आदेश दिनांक 14/11/2022 को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन तथा पैरोकार सरकार के तर्क पर मनन किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है। संक्षेप में अपील में चारागाह व		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिलानाम रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जे के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार बताते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश को आक्षेपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम धामानियां तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 2441/767 एवं 2119/760 किस्म क्रमशः चारागाह व बिलानाम रास्ता होकर अपीलार्थीगण का नाजायज कब्जा है जिस पर उनके क्लेम को अस्वीकृत किया गया है। उपरोक्त संदर्भ में अपीलार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से, जनउपयोगार्थ चारागाह व बिलानाम रास्ते हेतु आरक्षित भूमि पर नियमन अयोग्य क्लेम को हम पोषणीय नहीं पाते हैं। साथ ही इस आशय के कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 14/11/2022 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। 10/9/2025 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)	